न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 10/2024

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री रामस्वरूप सहरिया (पॉश कोड–8622), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कवाई, तहसील–अटरू, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री बाबूलाल जैन एड. (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 04.06.2025

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 428–34 दिनांक 22.02.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 36730.9 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 1696–1705 दिनांक 17.05.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 324/2005 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 36730.9 किग्रा गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चो के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 991735/– रूपये की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 18.09.2024 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सर्वथा गलत व निराधार है प्रार्थी ने कभी भी खाद्यान्न सामग्री का गबन नहीं किया है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो आरोप पत्र पेश किया गया था जो श्रीमान द्वारा [illegible] विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जयपुर सक्षम अधिकारी के यहां अपील दायर की हुई है जो वर्त[illegible] जेरकार है उसमे संभावना है कि प्रार्थी को उसमे शीघ्र ही स्थगन [illegible] प्रकरण में जो सामग्री गेहूं वगैरा की लिस्ट जो इस्पेक्टर द्वारा पेश की [illegible] वह फर्जी [illegible] सम्बन्धित अधिकारी [illegible] कभी भी मोके पर जाकर कोई पूछताछ [illegible] अधिकारी मोके पर जा[illegible]ताछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.03 11:11:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

करते तो उसके पास जो स्टांक है वह जानकारी देता तथा सम्बन्धित अधिकारी ने केवल मात्र गांव वालो के कहने पर ही सारी लिस्ट बनाकर पेश की है जिन पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के खिलाफ जो कार्यवाही वसूली की कर रखी है वह सर्वथा झूठी व बेबुनियाद है प्रार्थी गरीब परिवार का व्यक्ति है उसके विरूद्ध जो वसूली की कार्यवाही की गई है वह गलत है उसके पास देने के लिये कोई सम्पत्ति नही है जिससे वसूली हो सके। प्रार्थी की दूकान कवाई सालपुरा मे है जबकि जो चेकिंग की गई है वह रामपुर टोडिया का किया गया है जो तहसील किशनगंज में आती है। जो वास्तव मे तहसील अटरू की जांच करनी चाहिये थी जहां पर अप्रार्थी की दूकान है उसकी जांच नही की ओर रामपुर टोडिया की जांच कर वहां की रिपोर्ट लगादी है जो सर्वथा गलत व एवं फर्जी है तथा प्रार्थी को फर्जी तरीके फंसाया गया है अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावे ।

4— जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5— दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 36730.9 किग्रा. का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 324/2005 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/—रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से गेंहू NFSA 36730.9 किग्रा. की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चो के आधार पर निर्धारित दर 27/— रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 991735/—रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सर्वथा गलत व निराधार है प्रार्थी ने कभी भी खाद्यान्न सामग्री का गबन नहीं किया है। प्रकरण में जो सामग्री गेहूं वगैरा की लिस्ट जो इस्पेक्टर द्वारा पेश की गई है वह फर्जी एवं बनावटी है सम्बन्धित अधिकारी ने कभी भी मोके पर जाकर कोई पूछताछ नहीं की तथा सम्बन्धित अधिकारी ने केवल मात्र गांव वालो के कहने पर ही सारी लिस्ट बनाकर पेश की है जिन पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रार्थी की दुकान ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित है तथा जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया जो तहसील किशनगंज में स्थित है अंकित है। प्रार्थी के खिलाफ जो कार्यवाही वसूली की कर रखी है वह सर्वथा झूठी व बेबुनियाद है प्रार्थी गरीब परिवार का व्यक्ति है उसके विरूद्ध जो वसूली की कार्यवाही की गई है वह गलत है उसके पास देने के लिये कोई सम्पत्ति नही है जिससे वसूली हो सके। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावे।

7— रिपीटल में पेरोकार सरकार ने जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया टंकण त्रुटि से अंकित होना बताया तथा अपने कथन के समर्थन में कार्यालय में उपलब्ध जांच संबंधी रेकार्ड का अवलोकन करवाया।

8— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया कि अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि सामग्री गेहूं वगैरा की लिस्ट जो इस्पेक्टर द्वारा पेश की गई है वह फर्जी एवं बनावटी है सम्बन्धित अधिकारी ने कभी भी मोके पर जाकर कोई पूछताछ नहीं की परन्तु सूचियां गलत होने के संबंध में अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ भी कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। अस्तु अप्रार्थी का यह कथन नितान्त असत्य होना पाया जाता है कि अप्रार्थी ने खाद्यान्न का गबन नही किया हो। अप्रार्थी का यह कथन कि उसकी दुकान की जांच नहीं की ग्राम पंचायत रामपुर टोडिया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.03 11:11:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दुकान की जांच कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई है वह भी लिपिकीय त्रुटि से अंकित होना पेरोकार रसद ने बताया है तथा कार्यालय रिकार्ड से जांच के समस्त दस्तावेजात का अपने कथन के समर्थन में दौराने बहस अवलोकन करवाया है। इसी आधार पर अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 324/2005 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 991735/–रू. वसूली योग्य निकाली गई है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

9– अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री रामस्वरूप सहरिया (पॉश कोड–8622), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कवाई, तहसील–अटरू, जिला–बारां (राज.) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 991735/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.03 11:11:23 IST
Reason: SelfAttested